Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

रेफरेन्स/एलआर/3044/2006/भीलवाडा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शाहपुरा

प्रार्थी

बनाम

हरिसिंह पुत्र देवकरण जाट निवासी सणगारी तहसील शाहपुरा

अप्रार्थी

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री सत्यनारायण सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक
श्री खडगसिंह वकील अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः.8.3.18

यह रेफरेन्स धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलकटर, भीलवाडा द्वारा प्रकरण संख्या 32/2005 में की गई अनुशंषा दिनांक 3.4.2006 से प्रेषित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार शाहपुरा ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सणगारी के खसरा नम्बर 298 रकबा 1.18 बीघा किस्म गैर मु0 नाडी सम्वत 2010 से 13 की जमाबन्दी में दर्ज है। उक्त आराजी में से 0.03 बीघा अप्रार्थी के नाम आवंटन कर नामान्तरकरण संख्या 11 से गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई। विवादित भूमि वर्तमान में अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार गैर मु0 नाडी भूमि का आवंटन अथवा नियमन किसी भी उपयोग हेतु नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15.7.1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। अतः रेफरेन्स किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी अनुशंषा

दिनांक 3.4.2006 से यह रेफरेन्स राजस्व मण्डल को प्रेषित किया है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख से यह साबित है कि विवादित भूमि गैर मु0 नाडी किस्म की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर मु0 भूमि का आवांटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15.7.1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। अतः रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित भूमि नाडी से बहुत दूर है तथा नाडी के रूप में उपयोग नहीं आ रही है। अप्रार्थी को मात्र 3 बिस्वा भूमि बाडा हेतु आवंटित की गई है जिसे आबाद कर अप्रार्थी काबिज है एवं कृषि उपयोग में लेता है, संशाधन रखता है, मकान बना रखा है। अतः रेफरेन्स खारिज किया जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में खसरा नम्बर 298 की किस्म नाडी दर्ज है। नामान्तरकरण संख्या 11 से विवादित भूमि खसरा नम्बर 298/3 रकबा 3 बिस्वा अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज की गई है। जमाबन्दी सम्वत 2039 से 42 में इसका नोट अंकित है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसके नवीन खसरा नम्बर 374/489 बने हैं जो जमाबन्दी सम्वत 2060 से 63 में खसरा नम्बर 374/489 रकबा 3 बिस्वा गैर मु0 बाडा होकर अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है।

राजस्व अभिलेख की उक्त स्थिति से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि की किस्म नाडी रही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी गैर मु0 अंगोर, तालाब, नदी, नाले, जोहड आदि की भूमि का आवंटन अथवा नियमन नहीं किया जा सकता। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.8.2004 में ऐसी गैर मु0 भूमियों की दिनांक 15. 7.1947 की स्थिति बहाल करने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हम यह रेफरेन्स स्वीकार करना न्यायोचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सणगारी के आराजी खसरा नम्बर 374/489 रकबा 3 बिस्वा का अप्रार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में किये गये समस्त इन्द्राज व नामान्तरकरण संख्या 11 निरस्त किये जाते हैं तथा आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि राजस्व अभिलेख में पुनः गैर मु0 नाडी राजकीय भूमि दर्ज की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य